

संविधान दिवस की निगम अधिकारी एवं कर्मचारीयों ने ली शपथ

राष्ट्रपति संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा व सुना

रतलाम 26 नवम्बर | 26 नवम्बर 2021 को संविधान दिवस की शपथ उपायुक्त श्री विकास सोलंकी ने नगर निगम सभागृह में प्रातः 11:00 बजे निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई।

उपायुक्त श्री सोलंकी ने निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई कि हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। शपथ पश्चात राष्ट्रपति संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों ने देखा व सुना।

वैक्सीनेशन मिनी महाअभियान में 5 हजार लोगो को लगे कोरोना का दूसरा टीका

निगम आयुक्त श्री झारिया व एसडीएम श्री गेहलोत बैठक में दिये निर्देश

रतलाम 26 नवम्बर | नगर के ऐसे नागरिक जो कि कोरोना का पहला टीका लगवाकर तय समय-सीमा पूर्ण कर चुके हैं उन्हें 27 नवम्बर शनिवार को वैक्सीनेशन मिनी महाअभियान के तहत शत-प्रतिशत टीका लगवाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया व एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत ने निगम अधिकारी, इंजीनियर व वार्ड दरोगा, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स की बैठक ली।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निगम अधिकारी, इंजीनियर, वार्ड दरोगाओं व आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स को निर्देशित किया कि 27 नवम्बर शनिवार को कोरोना वैक्सीनेशन मिनी महाअभियान में नगर निगम की पूरी टीम एकजुट होकर नगर के कम से कम 5 हजार से अधिक नागरिकों को कोरोना का दूसरा टीका लगवाने का कार्य करेगी इसलिये वे सभी प्रातः 7 बजे से इस कार्य में जुट जाये। वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक अपने-अपने वार्ड में ऐसे नागरिक जिन्होंने कोरोना का दूसरा टीका नहीं लगवाया है उनसे संपर्क कर नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर ले जाकर टीकाकरण करवायेंगे।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक-एक मतदाता को मतदान हेतु जागरूक करते हैं ठीक उसी प्रकार से हमें नागरिकों को कोरोना का पहला व दूसरा टीका लगवाने हेतु जागरूक करना है।

एसडीएम श्री गेहलोत ने वैक्सीनेशन महाअभियान में नगर निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम इसी तरह से कार्य करेंगे तो शीघ्र ही रतलाम नगर 100 प्रतिशत वैक्सीनेटेड हो जायेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के दुसरे टीके के लिये हम नागरिकों से मोबाईल पर संपर्क करते हैं और वह कहता है कि उसने दुसरा टीका लगवा लिया है तो इसकी जांच के लिये वैक्सीनेशन सेंटर पर सर्च करवायें कि उसने दुसरा टीका लगवाया है या नहीं।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री मोहम्मद हनीफ शेख, श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी आयुषी पालीवाल, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी, राजेश पाटीदार, ब्रजेश कुशवाह, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, श्रीमती अनिता ठाकुर, झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़े, किरण चौहान, विनय चौहान, वार्ड दरोगा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थीं।

पेंशन हितग्राही झोन कार्यालयों पर करवायें भौतिक सत्यापन

रतलाम 26 नवम्बर । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले शेष रहे हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन एम. पेंशन मित्र पोर्टल पर किये जाने हेतु झोन कार्यालयों पर 28 नवम्बर से शिविर आयोजित किये गये हैं।

भौतिक सत्यापन हेतु झोन कार्यालयों पर आयोजित किये गये शिविरों के तहत 28 नवम्बर रविवार को झोन क्रमांक 1 में वार्ड क्रमांक 1 से 14 के हितग्राही, 29 नवम्बर सोमवार को झोन क्रमांक 2 में वार्ड क्रमांक 27 से 39 के हितग्राही, 30 नवम्बर मंगलवार को झोन क्रमांक 3 में वार्ड क्रमांक 15, 16, 17, 18, 22, 23, 45, 46, 47, 48 व 49 के हितग्राही तथा 01 दिसम्बर बुधवार को झोन क्रमांक 4 में वार्ड क्रमांक 19, 20, 21, 24, 25, 26, 40, 41, 42, 43 व 44 के हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन प्रातः 10 से सांय 6 बजे तक किया जायेगा।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज बीपीएल राशन कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाते की पास बुक, निवासी, जन्म, आयु, चिकित्सक, निःशक्तता, आयकर दाता ना हो, पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र, अंक सूची, मतदाता सूची, मतदाता परिचय-पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी जाब कार्ड के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

स्वच्छता के प्रति जागरूकता से नई दिशा मिलेगी

स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 के तहत डोर टू डोर कचरा निपटान के तरीके के समझाए गए

रतलाम 26 नवम्बर । स्वच्छता के प्रति अगर हर कोई अपनी जवाबदारी समझते हुए भागीदारी निभाए तो वह दिन दूर नहीं कि अपना शहर सबसे सुंदर होगा। इसमें सबसे अधिक सहयोग खासकर छात्र-छात्राएं कर सकते हैं। हमे अपने आसपास की सफाई हमेशा रखना चाहिए और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए।

उक्त विचार नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने शुक्रवार को स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 के तहत शहर में चल रहे स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रमों के तहत नागरिकों से आवाहन करते हुए व्यक्त किए हैं। इस अवसर पर सफाई मित्र समूह द्वारा कचरामुक्त स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर आकर्षक रांगालियों का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया गया।

उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए श्रमदान करना जितना आवश्यक है उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है कि हम गंदगी ही नहीं करें। स्वच्छता के प्रति जागरूकता आने से समाज को नई दिशा मिलेगी। स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता के महत्व समझाना होगा और गंदगी न फैलाने का संकल्प लेना होगा। स्वच्छता का सही अर्थ है कि हम अपने शरीर, मन और अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखें, क्योंकि स्वच्छता जीवन के लिए काफी लाभदायक है, स्वच्छ रहने से लोग बीमार नहीं होंगे तथा स्वास्थ्य जीवन जी सकेंगे।

श्री झारिया ने नागरिकों से आवाहन किया है कि घर और दुकानों से निकले कचरे का निपटान कचरा संग्रहण वाहन के अलग-अलग हिस्सों में ही करे। स्वच्छता के प्रति नागरिकों

की जागरुकता जरूरी है तभी हम अपने शहर को देश में स्वच्छता के मामले में नम्बर-1 बना पाएंगे, इसी के साथ वैक्सीनेशन के मामले में भी शत प्रतिशत टीके लगवा कर रतलाम का गौरव बढ़ाए।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलकी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी. के.जायसवाल, झोन प्रभारी सर्वश्री किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान सहित सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

26 नवम्बर को 80 टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 26 नवम्बर | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 26 नवम्बर शुक्रवार को 80 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

26 नवम्बर शुक्रवार को डम्पर से 24770, ट्रेक्टर से 11225, काम्पेक्टर सूखा कचरा 26450 व काम्पेक्टर गीला कचरा 18050 किलो इस तरह कुल 80495 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

2285 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 78 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 26 नवम्बर | नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2190 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 95 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 75 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 26 नवम्बर | शहर की मुख्य सड़क सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हें तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो

के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 26 नवम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 26 नवम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 26 नवम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाल-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 26.11.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.